

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 21/2024

पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (अजमेर) जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अजयसर,
पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

श्री बोदूसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, जाति नामालूम, निवासी ग्राम खरखेड़ी, ग्राम
पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, अजमेर

.....अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज
अधिनियम 1996

उपस्थित :- श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक-14.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.12.2021 की अनुपालना में ग्राम अजयसर, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर की आबादी भूमि में से श्री बोदूसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, जाति नामालूम, निवासी ग्राम खरखेड़ी, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, अजमेर के पक्ष में दिनांक 02.03.2022 को आबादी भूमि का पट्टा संख्या 45 क्षेत्रफल 220 वर्ग गज पूर्व का कब्जा मानते हुए जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने वकील निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत अजयसर में पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पुश्तैनी काबिज होने पर पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों एवं विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत अजयसर द्वारा अप्रार्थी को कब्जेधारी के आधार पर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि व चरागाह भूमि का पूर्ण सीमाज्ञान नहीं होने से त्रुटिवश चरागाह भूमि में पट्टा जारी कर दिया गया, जो प्रारम्भ से ही अवैध होने के कारण शून्य व सारहीन (Null & void) है। ग्राम वासियों द्वारा ग्राम पंचायत



अपर कलक्टर
अजमेर

अजयसर को इन तथ्यों की जानकारी प्रदान करने एवं सीमांकन की पूर्ण जानकारी होने पर यह प्रतीत हुआ कि अप्रार्थी को त्रुटिवश एवं सीमाज्ञान के अभाव में चरागाह भूमि में नियमों के विपरीत पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु ग्राम सभा की बैठक में इस बाबत जानकारी व सूचनायें प्रदान की गईं। उक्त तथ्य प्रार्थी की जानकारी में आने के पश्चात दिनांक 06.06.2024 को ग्राम सभा की बैठक आहूत की जाकर सीमाज्ञान के अभाव में त्रुटिवश जारी आक्षेपीय पट्टे को तत्काल निरस्त करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उनका आगे कथन है कि आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत अजयसर के तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्ण नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया था, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही भूल सुधार हेतु पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि विवादित पट्टा अवैध व शून्य होने के कारण निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत अजयसर द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 45 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जावे।

हमने वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अजयसर द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि व चरागाह भूमि का पूर्ण सीमाज्ञान नहीं होने के कारण त्रुटिवश अप्रार्थी को आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में जांच की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2024 को आक्षेपित पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किये जाने के तथ्य भी पत्रावली पर उजागर हुए हैं। ग्राम पंचायत अजयसर द्वारा अप्रार्थी को त्रुटिवश एवं सीमाज्ञान के अभाव में चरागाह भूमि में आक्षेपित पट्टा जारी कर दिया गया जो नियमों के विपरीत एवं वर्णित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल होकर विधि विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 45 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(ज्योति कक्कानी)
अपर कलेक्टर अजमेर